न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 71 सन 2019
अनवान :–

1. हरिसिह पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।

बनाम

1. राजुराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।
2. लीलूराम 3 प्रतापसिह 4 औमप्रकाश 5 भरतलाल पि0 चुन्नीराम जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 01.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 175/170 के खसरा न0 124/2 की 7.6250हैक , खसरा न0 175/2 की 6.8530हैक कुल 14.4780हैक भूमि स्थित है जो पूर्व में वादी के दादा नन्दराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने के बाद विरासतन से उसके पुत्र चुन्नीराम एवं उसके पश्चात वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम से दर्ज हुई है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 1 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का चाचा है जो काफी वृद्व हो चुका है जिसके कोई औलाद नही है प्रतिवादी संख्या 1 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के साथ ही रहता है जिसने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वाद का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरासतन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का चाचा है के नाम से दर्ज हुई तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके कोई औलाद नही होने के कारण उसने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1

मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर सलग्न वाद है जिसमें यह रोशन है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 के कोई औलाद नही होने के कारण वह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के साथ ही रहता है इसलिये उसने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पक्ष में त्याग कर दिया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के बाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि सेही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 175/170 की कुल तादादी 14.4880हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/2 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 चारो बहिब 6.5502हैक व प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 0.6888हैक भूमि के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official